राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

झालावाड़ : सांसद ने की जनसुनवाई

जनसुनवाई में अधिकारियों को दिये समस्याओं का समाधान करने के निर्देश

झालावाड़ 2 जून/ बारां–झालावाड़ सांसद श्री दुष्यन्त सिंह ने मंगलवार को झालावाड़ शहर के निवासियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं की जनसुनवाई करते हुए मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान दिये।

जनसुनवाई के दौरान सांसद के सामने प्रमुख रूप से पानी, बिजली, पेंशन, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित समस्याऐं आई। जिनका उन्होंने प्रार्थी की उपस्थिति में ही संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाकर निस्तारण के निर्देश दिये। सांसद श्री सिंह ने जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय से गर्मी के मौसम में आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास सुनिश्चित किये जाए।

सांसद ने सर्व प्रथम गोदाम की तलाई स्थित तोपखाना स्कूल परिसर में नगरपरिषद के वार्ड संख्या 1 से 10 तक के लोगों की समस्याऐं सुनी। इसके बाद वार्ड संख्या 11, 12 व 23 से 30 तक के निवासियों की मोटर गैराज रेन बसेरा परिसर में समस्याऐं सुनी, इसके पश्चात अग्रवाल सेवा सदन में वार्ड संख्या 13 से 22 के आमजन की जन समस्याओं से रूबरू हुए। सांसद ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्याओं को बडी गंभीरता के साथ सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समय रहते संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये।

इस मौके पर जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्याओं के समाधान हेतु मौके पर जाकर देखे और समस्या का समाधान करें।

जनसुनवाई के दौरान सांसद के साथ जिला प्रमुख श्रीमती टीना कुमारी भील, बारां–झालावाड प्रभारी श्रीकृष्ण पाटीदार, हाऊसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमेन श्याम सुन्दर शर्मा, खानपुर विधायक नरेन्द्र नागर, डग विधायक रामचन्द्र सुनारीवाल, मनोहरथाना विधायक कंवर लाल मीणा, उप जिला प्रमुख भागचन्द दांगी, संजय जैन ताऊ, नरेन्द्र तोमर, इन्द्रजीत सिंह झाला, जयदीप सिंह झाला, सुरेन्द्र काशवानी, नागेश शर्मा, श्याम पाटीदार, संजय वर्मा, महावीर शर्मा सहित नगरपरिषद् के वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि तथा उपखण्ड अधिकारी रामचरण शर्मा, आयुक्त रामनारायण बडगुर्जर एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

भूतपूर्व सैनिक डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र बनाऐं

झालावाड़ 2 जून/ समस्त भूतपूर्व सैनिकों के डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक मिनी सचिवालय स्थित एनआईसी सेन्टर में बनाये जा रहे है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कोटा कर्नल आर.एस. राठौड ने बताया कि 2 से 5 जून तक भूतपूर्व सैनिकों के डिजीटल प्रमाण पत्र बनाने का कार्य चल रहा है। जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिक आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, पीपीओ, बैंक पासबुक, एवं परिचय पत्र की फोटोप्रति व ई–मेल आईडी) के साथ सूचना विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र बनायें ताकि बैंक में जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी और अंगूठे के निशान से ही किसी भी ई–मित्र से बैंक को जीवित होने की सूचना दे सकेंगे।

राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही मिल रही किसानों को राहत

563 मामलों का हुआ निरतारण

झालावाड़ 2 जून/ राजस्व लोक अदालत अभियान " न्याय आपके द्वार " कार्यक्रम के दौरान सोमवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 563 मामलों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 1 जून को ग्राम पंचायत कलमंडी कला, सुवास, शोरती व तारज में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 200 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 53, खाता विभाजन के 49, पत्थरगढी के 5, गैर खातेदारी से खातेदारी के 12, राजस्व नकल के 145, सीमाज्ञान के 21, इजराय के 22 प्रकरणों सहित धारा 86, 183 ए. आर.टी.एक्ट, स्थायी निषेधाज्ञा, धारा 251 सहित अन्य 56 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

ढाई वर्षो के विवाद का आपसी समझाईश से हुआ समाधान

झालावाड़ : ग्राम पंचायत गंगधार में आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार में शेषनारायण एवं निर्मला बाई ने उपस्थित होकर बताया कि ग्राम गंगधार के खाता संख्या 347 कुल किता 9 रकबा 7.05 बीघा भूमि अपीलान्ट की माता रम्भा बाई के नाम दर्ज थी। रम्भा बाई का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात फौती नामान्तकरण संख्या 1177 ग्राम पंचायत गंगधार ने वर्ष 2013 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2,3,4 के पक्ष में निर्णित कर दिया। ग्राम पंचायत के इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। जबकि रम्भा बाई ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 2006 में अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर वसीयत के जर्ये उक्त खाता संख्या 347 की आराजी अपीलान्ट के हक में छोडी और खातेदार रम्भा बाई का वर्ष 2006 में ही स्वर्गवास हो गया और यह आराजी अपीलान्ट को विरासत में हांसिल हो गई। जिसको अपीलान्ट आज दिन तक हांकता जोतता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत गंगधार द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना ही उक्त नामान्तकरण संख्या 1177 निर्णित कर दिया जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी चन्दन दुबे ने बताया कि अपीलान्ट की अपील पर केम्प में प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया और अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट निर्मला बाई को केम्प में समझाईश की गई तो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित में राजीनामा पेश कर नामान्तरकरण संख्या 1177 को निरस्त करते हुए वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 की हिस्से की आराजी अर्थात कुल आराजी 7.05 बीघा का 3/4 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज करने तथा 1/4 हिस्सा निर्मला बाई के हिस्से दर्ज करने पर सहमति बन गई। इस पर ग्राम पंचायत गंगधार द्वारा निर्णित किए गए नामान्तरकरण संख्या 1177 को निरस्त कर राजीनामे के आधार पर नया नामान्तकरण दर्ज किया जाकर केम्प में ही निर्णित कर दिया गया। इस निर्णय से भाई और बहन के मध्य उनकी माता के देहान्त के पश्चात ढाई वर्षो से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और भाई–बहन के संबंध वापस पहले जैसे हो गये।